न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

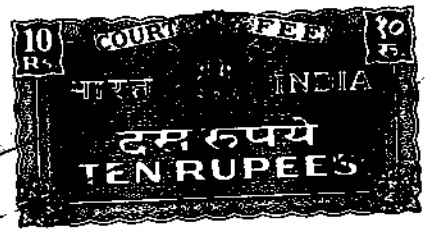

निगरानी-1456-III/09

श्यामलाल तिवारी तनय स्व. कालूराम तिवारी, निवासी ग्राम–तिवरिगवाँ, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला–रीवा (म0प्र0)

——निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

कपिलमुनि तिवारी तनय केमलाराम तिवारी, निवासी ग्राम–तिवरिगवाँ, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला–रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0 20/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2009.

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह उसके अधिकार क्षेत्र के परे था, क्योंकि भूमि खसरा क्रं0 304/1 और खसरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1446–तीन/2009 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –7 –2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 20/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 08–10–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय में ग्राम तिवरिगवां की खसरा कमांक 304/3 एवं 289/1 का नक्शा पूर्व की भांति तैयार करने तथा वर्तमान त्रुटिपूर्ण नक्शा का तरमीम कराकर दुरूस्त कराने बावत प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21–4–08 के द्वारा आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अनावेदक कपिलमुनी ने कलेक्टर रीवा को निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 31–8–09 को इस आधार पर निगरानी स्वीकार की कि नायब तहसीलदार को नक्शे सुधार करने की अधिकारिता नहीं है। नक्शा संशोधन संबंधी आदेश पारित करने की अधिकारिता म0प्र0 भू–राजस्व सहिता 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर को है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक श्यामलाल द्वारा निगरानी अपर आयुक्त को प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 08–10–09 के द्वारा निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन किया। अपर कलेक्ट ने आपने आदेश में यह निष्कर्ष निकला है	

कि वर्ष 1995 एवं 2005 में तरमीम किये गये नक्शे के विपरीत प्रश्नाधीन भूमियों का नक्शा तरमीम या सुधार करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है। जबकि नक्शा संशोधन की अधिकारिता म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) के अन्तर्गत कलेक्टर को है। यह भी आदेश दिये गये कि भूमि कमांक 304/3 का निक्शा दिनांक 30–9–05 के अनुसार एवं कं. 289/1 का नक्शा सुधार पूर्व में दिनांक 30–10–98 को किये गये तरमीम के अनुसार नक्शे में सुधार किया जाये। अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश से की गई है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित विधिसंगत आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 31–8–09 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 8–10–09 विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाते है। निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य